संख्या 1264 / II–2009–03(05) / 2009

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी /
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़,
चम्पावत, चमोली, पौड़ी उत्तराखण्ड।

लघु सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक: अगस्त १५ , 2009

विषय : वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के पत्र दिनांक 29.07.2009 के क्रम में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 31.07.2009 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2009–10 में जिला योजना के अन्तर्गत गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण योजनान्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष रूपया 50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्रमांक	योजना का नाम	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रू0 में)
1	गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण	ऊधमसिंह नगर	6.00
		पिथौरागढ़	4.00
		चम्पावत	16.00
		चमोली	20.00
		पौड़ी	4.00
		योग	50.00

(रूपया पचास लाख मात्र)

1– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग शासनादेश सं0 338 / II–2004 / 2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेश सं0–1454 / II–2007 –14(05) / 2005, दनांक 06.12.07 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 875 / II–2009–14(05) / 2005 दिनांक 01.06.2009 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रक्योरमेन्ट) नियमावली 2008 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

क्रमश.....2

5– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार/फॉट सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय तथा अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के 2702– लघु सिंचाई, 80–सामान्य, 800–अन्य मद, 9103–गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण, 25–लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या 515/XXVII(1)/2009, दिनांक 24.08.2009 के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 1261 /1)–2009–03(05)/2009,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5– अपर सचिव, वित्त, बजट, अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त पौड़ी/हल्द्वानी।
9– समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तराखण्ड।
10– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–4), उत्तराखण्ड शासन।
13– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

(एस0एस0 ढोलिया)
अनु सचिव